



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1034]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/फाल्गुन 17, 1940

No. 1034]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/PHALGUNA 17, 1940

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 6 मार्च, 2019

का.आ. 1168(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड(ii) तारीख 15 अक्टूबर, 2018 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना का. आ. (अ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को राजस्थान राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, अलवर-बांदीकुई दोहरीकरण परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों "राजस्थान पत्रिका" व "दैनिक भास्कर" में तारीख 27 अक्टूबर, 2018 को प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और कि, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप धारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लघनों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात् अलवर-बांदीकुई दोहरीकरण परियोजना (राजगढ़ तहसील) के लिए अधिग्रहण किए जाने वाली संचरना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम – अलवर

क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	कुल अवाप्त क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	भू-स्वामी हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजगढ़	ढिगावडा	100	निजी	बरानी प्रथम	0.0350	1.बब्बूसिंह पुत्र बने सिंह हिस्सा 1/4 जाति मीना सा.देह खातेदार रहिन हिस्सा 1/4 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ढिगावडा 2.रामेश्वर पुत्र नानगा हिस्सा 1/4 जाति मीना सा.देह खातेदार रहिन हिस्सा 1/4 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ढिगावडा 3.मानसिंह पुत्र बनेसिंह हिस्सा 1/8 जाति मीना सा.देह खातेदार रहिन हिस्सा 1/8 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ढिगावडा 4.विक्रमसिंह पुत्र बनेसिंह हिस्सा 1/8 जाति मीना सा.देह खातेदार रहिन हिस्सा 1/8 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ढिगावडा 5.महेन्द्र पुत्र रामजीलाल हिस्सा 7/32 जाति मीना सा.देह खातेदार 6.नाबालिग गायत्री पुत्री रामजीलाल संरक्षक सरपरस्त बडा भाई महेन्द्र खुद हिस्सा 1/32 जाति मीना सा.देह खातेदार
			योग			0.0350	
2.	राजगढ़	अलेई	57 North Side	निजी	चाही 1	0.1480	रामस्वरूप पुत्र रामधन जाति मीना सा.देह खातेदार के वारिसान:- 1.गोमा देवी पत्नि स्व. श्री रामस्वरूप मीना 2.लक्ष्मीनारायण मीना पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप मीना 3.चेतराम पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप मीना 4.गिरधारी लाल पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप मीना
3.	राजगढ़	अलेई	57 / 272	निजी	चाही 1	0.1850	1. जडाव पत्नि श्रवण जाति मीना 1/16 हिस्सा 2. देशराज पुत्र श्रवण जाति मीना 1/16 हिस्सा 3. नरेन्द्र पुत्र श्रवण जाति मीना 1/16 हिस्सा 4. भरतलाल पुत्र रामदयाल जाति मीना 1/4

							हिस्सा 5 भौती पत्नि रामदयाल मीना 1/4 हिस्सा 6.मनफूल पुत्र रामदयाल मीना 1/4 हिस्सा 7. सीमा पुत्री श्रवण जाति मीना 1/16 हिस्सा
			योग			0.3330	
			कुल योग			0.3680	

[फा. सं. उ.प.रे./मुख्यालय/एस एण्ड सी/443599200]

ललित कपूर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[NORTH WESTERN RAILWAY (CONSTRUCTION ORGANIZATION)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 6th March, 2019

S.O. 1168(E).—Whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. (E) dated 15 October 2018 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub section (ii) (here in after referred to as the said notification) under sub section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, Alwar-Bandikui Doubling project in the State of Rajasthan.

And, whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspapers “Rajasthan Patrika” and “Dainik Bhaskar” dated 27 October 2018 under sub-section (4) of section 20A of the said act;

And, whereas, no objection has been received by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, -with or without structure, for the special Railway project namely Alwar-Bandikui Doubling Project (For Rajgarh– Sub division)in the state of Rajasthan.

Name of District: Alwar

S. N.	Tehsil	Name of Village	Khasra No.	Type of land	Nature of land	Acquired Area (in Hectare)	Name of Land Owner / Interested Persons
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rajgarh	Dhigawara	100	Private	Barani-I	0.0350	1. Babbu Singh S/o Bane Singh Hi.1/4 Jati Meena Sa. Deh Khatedar Rahin Hi.1/4 Baroda

							Rajasthan Kshetriya Gramin Bank Shakha Dhigawara 2. Rameshwar S/o Nanga Hi.1/4 Jati Meena Sa. Deh Khatedar Rahin Hi.1/4 Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank Shakha Dhigawara 3. Mansingh S/o Bane Singh Hi.1/8 Jati Meena Sa. Deh Khatedar Rahin Hi.1/8 Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank Shakha Dhigawara 4. Vikramsingh S/o Bane Singh Hi.1/8 Jati Meena Sa. Deh Khatedar Rahin Hi.1/8 Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank Shakha Dhigawara 5. Mahendra S/o Ramjilal Hi.7/32 Jati Meena Sa. Deh Khatedar 6. Nabalig, Gayatri D/o Ramjilal sangrakshak sarparast bada bhai Mahendra khud Hi.1/32 Jati Meena Sa. Deh Khatedar
			Total			0.0350	
2.	Rajgarh	Alai	57 North Side	Private	Chahi 1	0.1480	Ramswaroop S/o Ramdhan Jati Meena Sa. Deh khaatedar ke varisan : 1. Goma Devi W/o Late Shri Ramswaroop Meena. 2. Laxminarayan Meena S/o Late Shri Ramswaroop Meena. 3. Chetram S/o Late Shri Ramswaroop Meena. 4. Girdhari Lal S/o Late Shri Ramswaroop Meena.
3.	Rajgarh	Alai	57 / 272	Private	Chahi 1	0.1850	1. Jadaav W/o Shravan jati Meena Hi. 1/16 2. Deshraj S/o Shravan jati Meena Hi. 1/16 3. Narendra S/o Shravan jati Meena Hi. 1/16

							4. Bharat Lal S/o Ramdayal jati Meena Hi. 1/4 5. Bhoti W/o Ramdayal Meena Hi. 1/4 6. Manphool S/o Ramdayal Meena Hi. 1/4 7. Seema D/o Shravan jati Meena Hi. 1/16
			Total			0.3330	
			G.Total			0.3680	

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200]

LALIT KAPUR, Chief Administration Officer (Construction)